कार्यालय :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड, राँची ।

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखंड, पिन–834002, Email :- pccf-ednodal@gov.in

पत्रांक– 556 राँची, दिनांक– 27/6/2022

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :– **सी0सी0एल0 के नार्थ उरीमारी रेलवे साईडिंग परियोजना हेतु कुल 11.11 हे0 (हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल अन्तर्गत 8.27 हे0 एवं रामगढ़ वन प्रमण्डल अन्तर्गत 2.84 हे0) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव (FP/JH/Others/34881/2018) के संबंध में।**

प्रसंग :– 1. वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग का पत्रांक 1763 दिनांक 08.10.2021
2. वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो का पत्रांक 852 दिनांक 29.09.2021
3. क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो का पत्रांक 897 दिनांक 15.06.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भ में सूचित करना है कि सी0सी0एल0 के नार्थ उरीमारी रेलवे साईडिंग परियोजना हेतु कुल 11.11 हे0 (हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल अन्तर्गत 8.27 हे0 एवं रामगढ़ वन प्रमण्डल अन्तर्गत 2.84 हे0) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव (FP/JH/Others/34881/2018) वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग के पत्रांक 1763 दिनांक 08.10.2021 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा Online तथा Hard Copy पाँच प्रतियों में प्राप्त हुई है।

प्रस्ताव की DSS से समीक्षा के क्रम में पाया गया कि परियोजना के प्रस्तावित वनभूमि में रेलवे लाईन का Base Work हो चुका है। Second Patch में Construction visible है। साथ ही वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो के पत्रांक 852 दिनांक 29.09.2021 द्वारा रामगढ़ वन प्रमण्डल अन्तर्गत प्रस्तावित प्रस्ताव में 2.84 हे0 जंगल–झाड़ भूमि में FC Act का Violation प्रतिवेदित है। इस संबंध में इस कार्यालय के पत्रांक 1373 दिनांक 03.11.2021 द्वारा Violation के लिए दोषी पदाधिकारी तथा उस पर कृत कार्रवाई का प्रतिवेदन की माँग क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो से की गई, जिसका अनुपालन प्रतिवेदन उनके पत्रांक 897 दिनांक 15.06.2022 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्राप्त हुआ।

प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राप्त प्रतिवेदनानुसार प्रस्ताव के संबंध में वस्तुस्थिति निम्नवत् प्रतिवेदित है :–

1. यह परियोजना कुल दो वन प्रमण्डल क्रमशः हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल एवं रामगढ़ वन प्रमण्डल अन्तर्गत अवस्थित है।
2. इस परियोजना में हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल अन्तर्गत 8.27 हे0 वनभूमि अन्तर्ग्रस्त है, जिसमें से 4.68 हे0 वनभूमि एवं 3.59 हे0 गैर मजरुआ जंगल–झाड़ है।
3. रामगढ़ वन प्रमण्डल के अन्तर्गत प्रस्तावित 2.84 हे0 गैर मजरुआ जंगल–झाड़ का रकवा है।
4. प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित वनभूमि का वैधानिक स्थिति रकवावार/प्रमण्डलवार निम्नवत् है :–

प्रमण्डल का नाम	अधिसूचित वन भूमि का रकवा (हे0 में)	गैर मजरुआ जंगल–झाड़ी (हे0 में)	कुल रकवा (हे0 में)	गैर वनभूमि (हे0 में)	वनस्पति घनत्व
हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल	4.68	3.59	8.27	14.42	0.2
रामगढ़ वन प्रमण्डल	0.00	2.84	2.84	2.32	0.2
		कुल :–	**11.11**	**16.74**	

27.06.2022

E:\COash\nitishji\Urimari railway siding 11.11.docx

5. प्रस्ताव के साथ प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विहित प्रपत्र (Form-A) में आवेदन दर्ज है।

6. प्रस्ताव के साथ Part-II में संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल एवं रामगढ़ वन प्रमण्डल का मंतव्य दर्ज है। साथ ही संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है।

7. Part-III में वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग एवं बोकारो का मंतव्य दर्ज है।

8. 1,50,000 स्केल के टोपोशीट पर लोकेशन मैप संलग्न है।

9. परियोजना में प्रभावित भूमि से संबंधित Authentic Land Schedule प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

10. अपयोजन हेतु प्रस्तावित वनभूमि का Geo reference map Hard एवं Soft Copy में संलग्न है।

11. प्रस्ताव के साथ लागत लाभ विश्लेषण संलग्न है।

12. प्रस्ताव से संबंधित DPR की प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

13. विषयगत परियोजना जिन–जिन गाँवों से होकर गुजरेगी उसके मानचित्र पर गैर मजरुआ जंगल–झाड़ी भूमि को दर्शाया गया है, जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

14. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा EIA Notification, 2006 के अनुसार प्रस्ताव के साथ नॉर्थ उरीमारी रेलवे साईडिंग के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति आवश्यक नहीं है, से संबंधित समर्पित वचनबद्धता प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

15. विषयगत परियोजना में हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल अन्तर्गत वृक्ष पातन की संख्या शून्य है तथा रामगढ़ वन प्रमण्डल अन्तर्गत प्रभावित होने वाले कुल वृक्षों की संख्या 129 प्रतिवेदित है। वृक्षों की प्रजातिवार गणना सूची संलग्न है।

16. प्रस्ताव के साथ राजस्व अभिलेख में गैर मजरुआ जंगल–झाड़ी भूमि हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल अन्तर्गत 3.59 हे0 का उपायुक्त, हजारीबाग द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र एवं रामगढ़ वन प्रमण्डल अन्तर्गत 2.84 हे0 का उपायुक्त, रामगढ़ द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र संलग्न है।

17. विषयगत प्रस्ताव में हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल अन्तर्गत अधिसूचित वनभूमि एवं जंगल–झाड़ी वनभूमि हेतु कुल 8.27 हे0 का वनाधिकार अधिनियम, 2006 से संबंधित प्रमाण–पत्र संलग्न है। रामगढ़ वन प्रमण्डल अन्तर्गत वनभूमि एवं जंगल–झाड़ी का FRA अप्राप्त है, जिसे प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित करने की वचनबद्धता प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

18. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा NPV एवं CA आदि की राशि जमा करने हेतु वचनबद्धता दी गई है।

19. क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दो वन प्रमण्डल यथा हजारीबाग पश्चिमी एवं रामगढ़ वन प्रमण्डल में दो गुणे 22.22 हे0 के विरुद्ध 22.44 हे0 अवकृष्ट वनभूमि का चयन किया गया है, जो निम्नवत् है :–

Name of Division	Name of Village	Thana & Thana No.	Plot No.	Gross Area (in ha.)	Net Area (in ha.)
Hazaribagh West Forest Division	Chhiramo	Barkatta/61	409P	17.00	16.54
Ramgarh Forest Division	Chaibpur	Mandu/84	810	5.90	5.90
				Total :-	22.44

प्रस्ताव के साथ क्षतिपूरक वनरोपण हेतु प्रस्तावित वनभूमि का नक्शा, DGPS/KML File/ संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी का उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं प्राक्कलन संलग्न है।

20. प्रस्ताव में CWLW, झारखण्ड का मंतव्य अपेक्षित है। उनसे अनुरोध किया जा रहा है, जिसे प्राप्त होने पर अलग से भेजा जायेगा।

21. Part-IV में अधोहस्ताक्षरी का मंतव्य संलग्न है।

27.06.2022

प्रश्नगत नॉर्थ उरीमारी रेलवे साईडिंग प्रस्ताव में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन कर रेलवे लाईन का Base work किया जा चुका है। अतएव क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा कुल

11.11 हे0 वनभूमि अपयोजन हेतु अनुसंशा से सहमत होते हुए निम्नांकित शर्तों के अधीन वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव हेतु अनुशंसा की जाती है :–

I. The user agency will pay for five times penal NPV for the area apart from one time regular NPV.
II. The user agency will pay the cost of compensatory afforestation over an area 10 (Ten) times the area applied is for diversion.
III. Legal Action shall be sanctioned under provision of F.C. Act, 1980 against officials of CCL and other persons involved in this violation.

अतः दोनो वन प्रमण्डलों से संबंधित प्रस्ताव की 3–3 मूल प्रतियाँ अग्रतर कार्रवाई हेतु इस पत्र के साथ संलग्न भेजी जा रही है।

संचिका पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), झारखण्ड का अनुमोदन प्राप्त है।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

विश्वासभाजन,

27.06.2022

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

27-6-22

E:\COash\nitishji\Urimari railway siding 11.11.docx

PART –IV

(To be filled in by the Nodal officers or Principal Chief Conservator of Forest or Head of Forest Department)

North Urimari Railway Siding Project CCL – 11.11 ha.

17. Detailed opinion and specific recommendation of the State Forest Department for acceptance of otherwise of the proposal with remarks)

(While giving opinion, the adverse comments made by concerned Conservator of Forest or Deputy Conservator of Forests should be categorically reviewed critically commented upon) :-

Recommended for diversion of 11.11 ha. Forest land with penal provision for reported 2.84 ha. (GMJJ) area under violation as per MoEF&CC guidelines dated 29.01.2018.

Date :- 27.06.2022

Place :- Ranchi

Signature

27.06.2022

(SANJAY SRIVASTAVA)
Nodal Officer
Name & Designation

(Official Seal)